न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
199/2022 (GCMS 2022/199)	10.11.2022	10.02.2023

उनवान

सरकार जरिये आर. सी. शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, उज्जैन (म. प्र.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री आरिफ हुसैन पिता आबिद हुसैन उम्र 30 वर्ष मैनेजर फर्म–मालवा इन्टरप्राईजेज, अन्नपूर्णा मंदिर के पास, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2–श्री इस्तियाक अली (प्रोपराईटर) मैसर्स मालवा इन्टरप्राईजेज, 113 पी एण्ड टी कॉलोनी, रतलाम (म. प्र.)

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर. सी. शर्मा, रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पश्चिम रेलवे मण्डल रेल प्रबंधक (स्थापना) द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 37 के अनुसार पश्चिम रेलवे रतलाम मण्डल पर नियुक्त किया गया है भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 18.04.2017 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की

धारा 10 की उपधारा 5 के साथ सपठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एतद् द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे रतलाम मण्डल पर काम करने के लिये इस अधिसूचना द्वारा नियुक्ति दी गई है। जिसकी प्रतिलिपियां न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने सहायक श्री कमलेश रामा के साथ दिनांक 17.06.2021 को प्रातः 7.00 बजे पश्चिम रेलवे रतलाम मण्डल के चित्तौड़गढ़ रेलवे कॉलोनी में स्वास्थ्य केन्द्र के पास स्थित रेलवे रनिंग रूम जो Subsidized Meal किचन में निरीक्षण के उद्धेश्य से पहुंचा। रनिंग रूम के किचन जो मैसर्स मालवा इन्टरप्राईजेज के द्वारा संचालित किया जा रहा है उसमें पहुंचकर वहां कार्य कर रहे मैनेजर आरिफ हुसैन पिता आबिद हुसैन को अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना परिचय दिया और उनसे परिचय लिया उसके पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रनिंग रूम किचन का खाद्य लाईसेन्स देखा जिसका नम्बर 10021916000089 तथा जिसकी वैद्यता दिनांक 22.03.2022 तक पाई गई, मैनेजर का चिकित्सा प्रमाण पत्र देखा जो दिनांक 15.07.2021 तक वैद्य मिला। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किचन के स्टोर में रखे खाद्य वस्तुएं दाल, आटा, मसाले, बिस्किट, खाद्य तेल, चावल, बेसन, मैदा आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टोर में रखे चावल जो कि एक खुले पॉलीथीन बेग में रखे हुए थे, जिस पर कोई भी लेबल आदि सूचना नहीं थी, जिसकी कुल मात्रा 7 किलोग्राम थी। इस चावल की गुणवत्ता पर पर संदेह होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चावल का नमूना लेकर इसकी जांच कराने के लिये राज्य खाद्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजने का निश्चय किया, जिसकी सूचना आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 5ए भरकर मैनेजर एवं गवाह के रूप में सहायक के हस्ताक्षर करवाते हुए दी, तत्पश्चात् वहां रखे चावल मे से 04 किलोग्राम चावल 65/—रू. प्रति किलो के भाव से रूपये 260/— नकद देकर मैनेजर से खरीदे और रेलवे पावती पर मैनेजर और गवाह के हस्ताक्षर करवाये। फार्म नं. 5ए एवं खरीदी रसीद की मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तराजू की मदद से खरीदे हुए चावलों को चार बराबर—बराबर भागों में करके साफ, स्वच्छ, सूखी पॉलीथीन में अलग—अलग पॉलीथीन में भरकर चार भाग तैयार किये और उसके बाद नमूने के चारों भागों को मोमबत्ती की मदद से वायु रहित बंद किया, तत्पश्चात् नियमानुसार 5 प्रतियों में लेबल तैयार किए और लेबल पर स्वयं, गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने के चारों भागों में एक—एक प्रति रखी। चारों भागों को मजबूत खाकी पेपर से पूरा कवर करते हुए दानों सिरों को अन्दर की ओर मोड़कर फेविकोल से चिपकाए तत्पश्चात् DO/CCG मुम्बई द्वारा जारी पेपर स्लिप क्रमांक WR/916/1588 को

नियमानुसार नीचे से उपर पूरा कवर करते हुए चारों भागों पर लगाई, उसके पश्चात् नमूनें के प्रत्येक भाग पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं मैनेजर ने इस तरह अपने–अपने हस्ताक्षर किये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर और आधे खाकी कागज पर आये, तत्पश्चात् नमूने के चारों भागों को मजबूत सफेद धागे से नियमानुसार बांधते हुए प्रत्येक पर चार–चार सील चपडी की सहायता से लगाई और सीलबंद किया। इसके बाद आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 5 प्रतियों में फार्म नं. 6 भरकर तैयार किया और नमूने के प्रत्येक भाग में रखा और पुनः खाकी कागज से नियमानुसार लपेटकर सिरों को फेविकोल से चिपकाया। उन्हें मजबूत धागे से नियमानुसार पैक किया सीलबंद किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर पीतल की चार–चार सील लगाकर सील पैक किया। नमूने के सभी भागों पर राज्य खाद्य प्रयोगशाला, उदयपुर का पता लिखते हुए मोहर लगाई और पुनः पेपर स्लिप संख्या WR/916/1588 अंकित किया। तत्पश्चात् मैनेजर को धारा 47(1)(c)(3) एवं धारा 26(4) का नोटिस दिया और पावती पर हस्ताक्षर कराये एवं की गई कार्यवाही का संक्षिप्त पंचनामा तैयार कर विक्रेता और गवाह को पढ़कर सुनाया एवं समझाया तथा हस्ताक्षर करवाये। पावती एवं पंचनामा की मूल प्रति संलग्न है। नमूने के प्रथम भाग को जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला, उदयपुर भेजा एवं शेष तीन भाग नियमानुसार अभिहित अधिकारी, मुम्बई को भेजना सुनिश्चित किया। पावती की मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 को प्राप्त हुई जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी, मुम्बई को समस्त दस्तावेजों के साथ प्रकरण तैयार कर अवलोकन हेतु भिजवाया गया, जिस पर अभिहित अधिकारी के पत्रांक द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी मूल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने अवमानक (Sub-Standard) चावल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत हैं जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र उज्जैन (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सूचना पत्र की ट्रेकिंग रिपोर्ट अनुसार सूचना पत्र डिलीवर्ड हो जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। जिससे अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, उज्जैन (म.प्र.) विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत हैं जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 एवं 8 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ चावल का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती हैं, उस पर भी विक्रेता/अप्रार्थी संख्या 1 एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 16 से जाहिर होता हैं कि उक्त कार्यवाही दिनांक 17.06.2021 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 16 मौका फर्द रिपोर्ट/पंचनामा दिनांक 17.06.2021 से जाहिर होता हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ चावल जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी, मुम्बई की पेपर स्लिप संख्या **WR/916/1588** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द/फेविकोल से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या FSO. WR. से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र, उज्जैन द्वारा पत्रवाहक कमलेश के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **WR/916/1588** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 15 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 18 एवं 19 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक कमलेश द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 17.06.2021 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के अभिहित अधिकारी, मुम्बई की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 21 के अवलोकन से जाहिर होता है कि पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुम्बई से अभिहित अधिकारी, मुम्बई के पत्रांक/DO/120/FSSA दिनांक 01.09.2021 से अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 151/ACT 2021/151 Dated 24-06-2021** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 151/ACT 2021/151 Dated 24-06-2021** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार श्री आर. सी. शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र उज्जैन (म.प्र.) द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या FSO. WR. से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 18.06.2021 से 24.06.2021 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Rice (Loose) bearing code no. and serial no. WR/916/1588 of Designated officer Western Railway Churchgate, Central East Mumbai. Pin-400008 (M.H.) is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर अभिहित अधिकारी, पश्चिम रेलवे, चर्च गेट मुम्बई की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **WR/916/1588** चस्पा है उक्त चावल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब स्टैण्डर्ड (sub-standard) अवमानक स्तर का पाया गया अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/DO/120/FSSA दिनांक 01.09.2021 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर. सी. शर्मा द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने के संबंध में न्यायालय

में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा बढ़ाने हेतु अभिहित अधिकारी, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुम्बई को जरिये पत्रांक/WR/916/1538 दिनांक 23.09.2022 से लिखा गया जिस पर अभिहित अधिकारी, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुम्बई द्वारा अपने पत्रांक/MD/120/DO/FSSA दिनांक 10.10.2022 से जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 31.10.2022 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करते हुए पत्रांक/MD/120/FSSA/PO/1/22 दिनांक 11.10.2022 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 27 एवं 28 होकर रिकार्ड पर है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित हैं, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण/अप्रार्थीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 श्री आरिफ हुसैन पिता आबिद हुसैन मैनेजर फर्म–मालवा इन्टरप्राईजेज, अन्नपूर्णा मंदिर के पास, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 इस्तियाक अली (प्रोपराईटर) मैसर्स मालवा इन्टरप्राईजेज, 113 पी एण्ड टी कॉलोनी,

रतलाम (म.प्र.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्राविधित किये गये है।

अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

चूंकि अप्रार्थीगण की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अप्रार्थीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः अभियुक्तगण अप्रार्थी संख्या 1 श्री आरिफ हुसैन पिता आबिद हुसैन मैनेजर फर्म–मालवा इन्टरप्राईजेज, अन्नपूर्णा मंदिर के पास, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 इस्तियाक अली (प्रोपराईटर) मैसर्स मालवा इन्टरप्राईजेज, 113 पी एण्ड टी कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.) को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से राशि रूपये 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़